भारतीय डाक विभाग
Department of Posts
India

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
Beti Bachao Beti Padhao

विवरणिका
BROCHURE

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

जारी करने की तारीख Date of Issue	: :	22 जनवरी, 2015 22 January, 2015
मूल्यवर्ग Denomination	: :	500 पैसा 500 p
मुद्रित डाक–टिकटें Stamps Printed	: :	5.0 लाख 0.5 Million
मुद्रण प्रक्रिया Printing Process	: :	वेट ऑफसेट Wet Offset
मुद्रक Printer	: :	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद Security Printing Press, Hyderabad

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक–टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00

Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)

Gender composition of the human population is one of the basic demographic characteristics, which is extremely vital for any meaningful demographic analysis. Changes in the said composition largely reflect the underlying socio-economic and cultural patterns of a society in different ways. Sex ratio, defined as the number of females per 1000 males in the population, is an important social indicator to measure the extent of prevailing equity between males and females in a society at a given point of time.

The trend of decline in the Child Sex Ratio (CSR), in India has been unabated since 1961. The CSR has alarmingly declined from 945 in 1991 to 927 in 2001 and to 918 in 2011. The issue of declining Child Sex Ratio is a major indicator of women disempowerment as it begins before birth, manifests in gender biased sex selection & elimination, and continues in various forms of discrimination towards the girl child after birth in fulfilling her health, nutrition and educational needs. Social construct discriminating against girls on the one hand, easy availability, affordability and subsequent misuse of diagnostic tools on the other hand, have been critical in increasing gender- biased sex selection of girls leading to low Child Sex Ratio.

As coordinated and convergent efforts are needed to ensure survival, protection and empowerment of the girl child, Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) initiative was announced by the Government for implementation through a national campaign and focused multi sectoral action in 100 selected districts low in CSR, covering all States and UTs. Ministry of Women and Child Development, the nodal ministry for BBBP , is supported by Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Human Resource Development in this endeavor where the objectives are: i) Prevention of gender biased sex selective elimination; ii) Ensuring survival & protection of the girl child; iii) Ensuring education and participation of the girl child.

This would involve multi-sectoral action, multi-departmental action in the 100 identified districts to lay focus on strict enforcement of Pre Conception & Pre Natal Diagnostic Techniques Act (PC&PNDT Act), retention of girls in secondary schools, availability of functional toilets, capacity-building & sensitization of government officials concerned, grassroots functionaries and elected representatives, and promotion of early registration of pregnancy, institutional deliveries and registration of birth registration and creating gender champions at local level. Special emphasis would be laid on reward and recognition of Schools/ Panchayat/ Urban ward/ Frontline worker/Community volunteer on annual basis. Gender disaggregated data related to birth of girls and boys through the Guddi-Gudda Boards (Girls-Boys Board) would be widely displayed in prominent public places such as Panchayats, Anganwadi Centres, Health Centres, Tehsil Offices. This would also be used in discussions around the issue of CSR and value of girl child during panchayat meetings.

The focused schematic interventions for improving CSR & promoting education under this initiative is supplemented by a national level mass campaign aimed at ensuring that girls are born, nurtured and educated without discrimination to become empowered citizens of this country with equal rights. Further, the involvement of women in the socio-economic growth will not only lead to increased standards of living but will also be a causal agent for the development of a country. The Campaign interlinks National, State and District level interventions with community level action in 100 districts, bringing together different stakeholders for accelerated impact.

Department of Posts is pleased to release a Commemorative Postage Stamp on "Beti Bachao Beti Padhao".

Credits:-

Text	:	Based on material received from Ministry of Women & Child Development, Govt. of India and Internet.
Postage Stamp/ FDC/ Brochure	:	Brahm Prakash
Cancellation	:	Alka Sharma

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

जनसंख्या की महिला–पुरुष (जेंडर) संरचना मूलभूत जनसंख्यात्मक विशेषताओं में से एक है, जो जनसंख्या संबंधी किसी भी सार्थक विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संरचना में होने वाला कोई भी परिवर्तन सामान्यतः समाज के सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्वरूप को विभिन्न तरीकों से प्रतिबिम्बित करता है। लिंग अनुपात, जो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर परिभाषित होता है, अत्यंत अहम सामाजिक सूचक है जो किसी भी समय, समाज में महिलाओं एवं पुरूषों के मध्य व्याप्त बराबरी के स्तर का द्योतक होता है।

भारत में शिशु लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट की प्रवृत्ति वर्ष 1961 से लगातार जारी है। 1991 में शिशु लिंग अनुपात 945 था, जो 2001 में घटकर 927 रह गया और 2011 में 918 पर पहुंच गया। इस प्रकार इसमें भारी गिरावट आई है। शिशु लिंग अनुपात में आ रही गिरावट महिलाओं की अधिकारविहीनता का एक बड़ा सूचक है, क्योंकि यह सिलसिला जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है और महिला–पुरुष में भेद के आधार पर लिंग के चयन और भ्रूण हत्या के रूप में सामने आता है तथा जन्म के पश्चात् बालिकाओं के साथ स्वास्थ्य, पोषण और उनकी शिक्षा संबंधी जरूरतों के आधार पर विभिन्न रूपों में जारी रहता है। बालिकाओं के विरूद्ध भेदभाव से भरे सामाजिक ताने–बाने तथा नैदानिक उपायों की आसान एवं किफायती उपलब्धता तथा इनके गलत प्रयोग वे मुख्य कारण हैं, जो लड़कियों के प्रति इस लिंग आधारित भेदभाव और परिणामस्वरूप गिरते शिशु लिंग अनुपात के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

बालिकाओं को जीवन, सुरक्षा तथा अधिकारिता प्रदान करने की दिशा में समन्वित तथा सुनियोजित प्रयासों की आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की है। यह योजना एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली कार्रवाई पर आधारित है, जिसके लिए विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के ऐसे 100 जिलों को चुना गया है, जहां सीएसआर कम है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस दिशा में सहयोग प्रदान करेंगे। इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार है: (i) लिंग आधारित भ्रूण हत्या पर रोक; (ii) बालिकाओं का जीवन और सुरक्षा सुनिश्चित करना; (iii) बालिकाओं की शिक्षा एवं सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना।

इसके अंतर्गत 100 चुनिंदा जिलों में बहुक्षेत्रीय तथा बहु–विभागीय कार्रवाई की जाएगी ताकि गर्भाधान–पूर्व तथा प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट) को सख्ती से लागू करने के साथ–साथ माध्यमिक स्कूलों में बालिकाओं की शिक्षा को जारी रखना, सुव्यवस्थित शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, संबंधित सरकारी कर्मियों, जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण और उन्हें इस ओर संवेदनशील बनाने का कार्य किया जा सके तथा साथ ही गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में ही पंजीकरण, अस्पतालों अथवा स्वास्थ्य केन्द्रों में शिशुओं का जन्म और जन्म के पंजीकरण का प्रचार–प्रसार तथा स्थानीय स्तर पर बालिकाओं से संबंधित विषयों पर लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष प्रतिनिधि तैयार किए जा सकें। इसके तहत इस बात पर विशेष बल दिया जाएगा कि इस दिशा में कार्य करने वाले स्कूलों/पंचायतों/शहरी वार्डों/अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक सामुदायिक कार्यकर्ताओं को वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाए। गुड्डी–गुड्डा बोर्डों के माध्यम से बालिकाओं एवं बालकों के जन्म से संबंधित अलग–अलग आंकड़ों को पंचायतों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, तहसील कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। पंचायत की बैठकों के दौरान, शिशु लिंग अनुपात तथा बालिका शिशु के महत्व के मुद्दे पर चर्चाओं के दौरान भी इन आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा।

इस पहल के अंतर्गत, सुनियोजित कार्यक्रम और शिक्षा के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर का एक जन अभियान भी प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बालिकाओं का सुरक्षित जन्म व लालन–पालन हो और वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करें तथा आगे चलकर इस देश की सशक्त नागरिक बन सकें, जिन्हें समान अधिकार प्राप्त हों। इस प्रकार, सामाजिक–आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी होने से न केवल जीवन के स्तर में बढ़ोतरी होगी, बल्कि वे इस देश के विकास में भागीदार भी होंगी। इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर की गई पहलों को 100 जिलों में सामुदायिक स्तर पर की जा रही कार्रवाई से जोड़ते हुए विभिन्न भागीदारों को एकजुट किया गया है, ताकि इन प्रयासों का प्रभाव शीघ्र देखने को मिले।

डाक विभाग *'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'* पर एक स्मारक डाक–टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :–

मूलपाठ : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा इंटरनेट से प्राप्त सामग्री पर आधारित।

डाक–टिकट/प्रथम दिवस आवरण/विवरणिका : ब्रह्म प्रकाश

विरूपण : अलका शर्मा